राम कलन बनाम पुरुषोत्तम उर्फ मिंटो
(अजय कुमार मित्तल न्यायमूर्ति)

***अजय कुमार मित्तल* और *जसपाल सिंह*, न्यायमूर्ति के समक्ष**

राम कलन-*अपीलार्थी*
बनाम

पुरुषोत्तम उपनाम मिंटू- *उत्तरदाता*

एफएओ 2010 की सं. 6898

जुलाई 5,2013

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 – धारा 19 और 21 - हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13(l)(ia)(ib) & 2(iv) - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - O.9 Rl.9 - हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार प्रतिवादी के साथ अपीलकर्ता का विवाह - पार्टियां पारस्परिक रूप से एक समझौते द्वारा अलग होने के लिए सहमत हुईं - अपीलकर्ता ने तलाक के लिए याचिका दायर की - डिफ़ॉल्ट में खारिज कर दिया - अपीलकर्ता ने तलाक के लिए एक और याचिका दायर की - फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसे O.9 Rl. 9 के तहत वर्जित किया गया था सीपीसी - परिवार न्यायालय, अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत दायर एफएओ - खारिज - परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित की जाती है - याचिका ने कोई नया तथ्य प्रकट नहीं किया - O.9 Rl.9 अधिनियम के तहत याचिका की चूक में बर्खास्तगी को नियंत्रित करता है।

***अजय कुमार मित्तल* न्यायमूर्ति**

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान है कि उसके तहत सभी कार्यवाहियों को संहिता द्वारा यथासंभव विनियमित किया जाएगा जो अधिनियम में निहित किसी अन्य प्रावधान और उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है। अधिनियम में ऐसा कोई अन्य उपबंध नहीं है जो चूक की स्थिति में कार्यवाहियों को खारिज करने या उनकी बहाली या उनकी बहाली न किए जाने के प्रभाव से संबंधित हो। अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हिंदू विवाह (पंजाब) नियम, 1956 में निहित कोई नियम ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नहीं दिखाया गया था। ऐसी स्थिति में संहिता का आदेश 9 नियम 9 अधिनियम के तहत दायर याचिका के डिफ़ॉल्ट में बर्खास्तगी के प्रभाव को नियंत्रित करता है।

(***पैरा*** 7)

अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील यह दिखाने में असमर्थ थे कि 8.9.2009 को दायर याचिका में किए गए कथनों के आधार पर, इसने 6.6.2009 को पहले की याचिका को खारिज करने के बाद किसी भी नए तथ्य का खुलासा किया, जिसने अपीलकर्ता को तलाक के लिए वर्तमान याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का नया कारण दिया।

(*पैरा* 15)

अपीलकर्ता के वकील सुमित सांगवान ।

वी.डी. शन्ना, प्रतिवादी के वकील ।

अजय कुमार मित्तल न्यायमूर्ति

(1) अपीलकर्ता-पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत विद्वान जिला न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय), भिवानी द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 10.9.2010 के खिलाफ दायर तत्काल अपील के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 13(l)(ia)(ib) & 2(iv) के तहत दायर याचिका तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए पत्नी द्वारा, खारिज कर दिया गया था।

(2) संक्षेप में कहा गया है, वर्तमान अपील के अधिनिर्णय के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि पक्षों के बीच विवाह 15.6.1994 को गांव रामबस, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी में हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ था। दोनों पक्ष दिनांक 15-05-2008 के एक करार द्वारा एक-दूसरे को अलग करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुए और इस प्रकार, पति और पत्नी के रूप में उनका संबंध समाप्त हो गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने तलाक के लिए याचिका दायर की। तलाक याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई और उपस्थित न होने के कारण, तलाक की याचिका 6.6.2009 को खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने 8.9.2009 को तलाक के लिए एक और याचिका दायर की। फैमिली कोर्ट वीआईडीसी आदेश दिनांक 10.9.2010 ने सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित) के आदेश 9 नियम 9 के तहत वर्जित होने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तलाक की मांग करने वाली पूर्व याचिका 22.7.2008 को दायर की गई थी और इसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। चूंकि पूर्व याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया था और वर्तमान याचिका कार्रवाई के निरंतर कारण पर दायर की गई थी और इसलिए 8-9-2009

को दायर की गई नई याचिका विचारणीय थी। यह भी आग्रह किया गया था कि पक्षों के बीच दिनांक 15.5.2008 को एक लिखित समझौता किया गया था जिसके तहत सामाजिक रूप से विवाह भंग हो गया था। विद्वान वकील के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज करने में गलती की कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

(4) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि पहले की याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, इसलिए, संहिता के आदेश 9 नियम 9 के प्रावधानों के मद्देनजर दूसरी याचिका को रोक दिया गया था।

(5) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमें अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं मिलती है। अधिनियम की धारा 21 के तहत, संहिता के प्रावधान, जहां तक हो सके, अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे। इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: -

> "21. 1908 के अधिनियम 5 का लागू होना- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो उच्च न्यायालय इस निमित्त करे, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों को, यथाशक्य हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित किया जाएगा।"

(6) संहिता के आदेश 9 नियम 9 का उल्लेख करना भी उचित होगा जो एक नई याचिका दायर करने पर रोक लगाता है जहां पहले की याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। यह इस प्रकार पढ़ता है: -

9. **डिफ़ॉल्ट रूप से वादी के खिलाफ डिक्री नए मुकदमे पर रोक लगाती** है। (1) जहां कोई वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या अंशतः निरस्त कर दिया जाता है वहां वादी को उसी कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई नया वाद लाने से रोका जाएगा। लेकिन वह बर्खास्तगी को रद्द करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि जब मुकदमा सहनशील होने पर बुलाया गया था, तो उसकी गैर-उपस्थिति का पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय ऐसी शर्तों पर बर्खास्तगी को रद्द करने का आदेश देगा जो लागत या अन्यथा जैसा कि वह ठीक समझता है, और वाद के साथ कार्यवाही के लिए एक दिन नियुक्त करेगा।

(2) इस नियम के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना विपरीत पक्ष को नहीं दी गई हो।

(7) अधिनियम की धारा 21 में यह उपबंध है कि उसके अधीन सभी कार्यवाहियों को संहिता द्वारा, जो अधिनियम में अंतवष्ट किसी अन्य उपबंध और इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए विनियमित की जाएंगी। अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो डिफ़ॉल्ट रूप से कार्यवाही को खारिज करने या उनकी बहाली या उनकी बहाली के प्रभाव से संबंधित है। हिंदू विवाह (पंजाब) नियमों में कोई नियम नहीं है। अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए 1956 के मामले को ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिखाया गया था। ऐसी स्थिति में संहिता का आदेश 9 नियम 9 अधिनियम के तहत दायर याचिका के डिफ़ॉल्ट में बर्खास्तगी के प्रभाव को नियंत्रित करता है।

(8) ***श्रीमती मनजीत कौर बनाम गुरदयाल सिंह गंगावाला*** *(1) में,* इस न्यायालय की एकल पीठ ने संहिता के आदेश 9 नियम 9 के संदर्भ में अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नानुसार देखा: -

> "…. इसका मतलब यह नहीं है और न ही हो सकता है कि संहिता में निहित प्रक्रिया का एक विशेष नियम एक मामले पर लागू किया जा सकता है, लेकिन दूसरे पर नहीं, या यह कि एक मामले में इसे पूरी ताकत के साथ लागू किया जा सकता है और दूसरे में इसकी पूरी कठोरता के साथ नहीं। मुझे संहिता के आदेश 9 नियम 9 द्वारा विनियमित किए जा रहे अधिनियम के तहत कार्यवाही में ऐसी कोई बाधा नहीं मिल रही है। नियम ध्वनि सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी प्रतिवादी को कानून द्वारा कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) (2) में रिपोर्ट किए गए ***गुरचरण सिंह बनाम मुख्तियार कौर*** में इस न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

1. 1977 पीएलआर 574
2. (2002) 1 डीएमसी 747

(10) ***तिरुकप्पा बनाम कमलानुना*** (3) में मैसूर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसी तरह की परिस्थितियों में निम्नानुसार दर्ज किया: -

> "यह देखा जाएगा कि स्थिति कमोबेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के नियम 8 और 9 के तहत स्थिति के समान है। इन नियमों के विशिष्ट प्रावधान इस देश में सिविल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालयों द्वारा पीढ़ियों से पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप हैं और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी हद तक हिंदू विवाह अधिनियम के किसी भी प्रावधान या नीति के प्रतिकूल हो, उन्हें धारा 21 के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में, प्रावधान हमें पार्टियों के दृष्टिकोण से न्यायसंगत और उचित प्रतीत होते हैं और सिविल न्यायालयों के काम के उचित प्रेषण के दृष्टिकोण से काफी आवश्यक हैं।

(11) ***मंजीत कौर के मामले (सुप्रा)*** के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने ***सी. सरला बनाम के. नलिनक्षन (4)*** में निम्नलिखित शब्दों में राय दी है: -

> ***10.*** *जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के नियम 8 के तहत एक मुकदमा पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, वादी को कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में एक नया मुकदमा चलाने से रोका जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के नियम 8 और 9 के प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम के तहत याचिकाओं पर लागू होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अन्य प्रावधानों और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत "सभी कार्यवाही" को विनियमित किया जाएगा, "जहां तक हो सकता है", सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा। आदेश 9 सिविल प्रक्रिया संहिता का एक हिस्सा होने के नाते (हिंदू विवाह अधिनियम) के तहत कार्यवाही को नियंत्रित करता है। शब्द "जहां तक हो सकता है" कोई संदेह नहीं है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन को योग्य बनाता है।*

3. ए आई आर1966 मैसूर 1
4. ए आई आर 1991 केरल 362

इन शब्दों का अर्थ केवल यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो उनकी प्रकृति के कारण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए लागू होने में असमर्थ हैं, लागू नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाद प्रस्तुत करके वाद की संस्था पर मुकदमा चलाने के स्थान के बारे में उपबंध और सिविल प्रक्रिया संहिता के ऐसे अन्य उपबंध जो हिंदू विवाह अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं, उन मामलों पर लागू नहीं हो सकते हैं जिनके संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंध हैं। फिर भी; इस मामले के संदर्भ में, हिंदू विवाह अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों का कोई प्रावधान नहीं है; जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के नियम 8 और 9 के आवेदन को बाहर करने का सुझाव देता है। मंजीत कौर के मामले में, श्रीमती मनजीत कौर बनाम 150 गुर डायल सिंह, एआईआर 1978 पंजाब और हरियाणा 150. समान परिस्थितियों में। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के नियम 9 को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू किया गया था।

(12) हिंदू विवाह अधिनियम के संबंध में संहिता के आदेश 9 नियम 9 के प्रावधानों की व्याख्या, जहां पहली याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ***श्रीमती मल्टी* बनाम *रमेश कुमार*** *(5) में विचार किया गया था।* जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

> *14. मुझे नहीं लगता कि (**न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आर श्रीनिवासन** 2000 एच एडी (एससी) 180: 2000 (3) एससीसी 242 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही पर लागू किया जा सकता है। उक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक नई शिकायत सुनवाई योग्य थी जब इसी तरह की शिकायत को पहले डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और उसी की बहाली के लिए एक आवेदन भी खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 का संदर्भ दिया गया था। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संहिता के केवल विशिष्ट प्रावधान ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित मंचों के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि संहिता के आदेश IX नियम 9 को विशेष रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं किया गया है और इसलिए, यह माना गया था कि संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत प्रदान की गई दूसरी शिकायत की विचारणीयता के संबंध में प्रतिबंध और निषेध लागू नहीं होगा।*

5. ए आई आर 2006 दिल्ली 271

यह आगे कहा गया कि संहिता के आदेश IX नियम 9 में निहित कोई समानांतर प्रावधान नहीं था, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू किया जा सकता था। तथापि, जैसा कि ऊपर पहले ही देखा जा चुका है, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21 के अंतर्गत संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू किए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है और इसलिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश, संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं था, कायम नहीं रह सकता है और इसे अलग रखा जा सकता है। हालांकि, मैं सावधानी का एक शब्द जोड़ सकता हूं। गैर-अभियोजन और चूक के आधार पर एचएमए 188/2000 को खारिज करने का आदेश दिनांक 19.7,2000, प्रतिवादी के रास्ते में नहीं आएगा और तलाक के लिए पहली याचिका दायर करने के बाद उसे प्राप्त हो सकने वाली कार्रवाई के कारण के आधार पर तलाक के लिए आधार साबित करने में आड़े नहीं आएगा अर्थात एचएमए 188/00। कार्रवाई के कारण के आधार पर तलाक की कार्यवाही जिस पर पहली कार्यवाही दायर की गई थी, वर्जित है और बनाए रखने योग्य नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी भी कार्रवाई के निरंतर कारण के आधार पर तलाक के लिए किसी भी कार्यवाही को दायर करने और स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि कार्रवाई का कारण 19.7.2000 के बाद जारी रहा हो, जब तलाक के लिए पहली याचिका डिफ़ॉल्ट और गैर-अभियोजन में खारिज कर दी गई थी।

(13) पूर्वोक्त दृष्टिकोण के लिए समर्थन गुडा ***विजयलक्ष्मी बनाम गुडा रत्नचंद्र शेखर शास्त्री (6) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से लिया जा सकता*** है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 25 के तहत मामले के हस्तांतरण के संबंध में अधिनियम की धारा 21 की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए निम्नानुसार आयोजित किया था: -

> *"पहली बात तो यह है कि इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि सीपीसी की धारा 25 में निहित मूल प्रावधान को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21 के कारण बाहर रखा गया है।*

6. ए आई आर 1981 एससी 1143

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 में केवल यह प्रावधान है कि इस अधिनियम में अंतवष्ट अन्य उपबंधों और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो उच्च न्यायालय इस निमित्त कर सकेगा, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों को, जहां तक संभव हो, विनियमित किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा"। धारा 21 के संदर्भ में सी.पी.सी. के प्रक्रियात्मक और मूल प्रावधानों के बीच कोई अंतर नहीं करता है और इसमें जो कुछ प्रावधान किया गया है वह यह है कि संहिता अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होगी और वाक्यांश "जहां तक हो सकता है" का अर्थ है और संहिता के केवल ऐसे प्रावधानों को बाहर करने का इरादा है जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं या हो सकते हैं।"

(14) गुडा विजयलक्ष्मी मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ***सरस्वती अम्मल बनाम लक्ष्मी*** *(7) में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था, इसके अलावा,* **हेमराज शामराव उमरेडकर** ***बनाम*** **श्रीमती लीला** (8) *में बॉम्बे हाईकोर्ट ने* भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था।

(15) अपीलकर्ता के विद्वान वकील यह दिखाने में असमर्थ थे कि 8.9.2009 को दायर याचिका में किए गए कथनों के आधार पर, इसने 6.6.2009 को पहले की याचिका को खारिज करने के बाद किसी नए तथ्य का खुलासा किया, जिसने अपीलकर्ता को तलाक के लिए वर्तमान याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का नया कारण दिया।

(16) ट्रायल कोर्ट ने पैरा 20 और 21 में याचिका को खारिज करते हुए निम्नानुसार दर्ज किया था: -

"20. अब एक और सवाल जिसकी जांच की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या वर्तमान याचिका कार्रवाई के उसी कारण पर दायर की गई है। पिछली तलाक याचिका की प्रति पूर्वR26 के रूप में फाइल पर रखी गई है। अब पिछली याचिका में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान याचिका में निहित आरोप पिछली याचिका में भी वही हैं। पिछली याचिका और वर्तमान याचिका के बीच दलीलों में कोई अंतर नहीं है।

7. ए आई आर 1989 मद्रास 216
8. ए आई आर 1989 बम्बई 146

दोनों याचिकाओं में तलाक के आधार काफी समान हैं और आरोप भी समान हैं। दोनों याचिकाओं में दावा की गई राहत भी समान है।

21. इस प्रकार वर्तमान याचिका को उसी कारण से दायर किया गया है जिस कारण से पिछली याचिका दायर की गई थी, जिसे कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में नई याचिका दायर करने के लिए सीपीसी के आदेश 9 नियम 8 के तहत चूक में खारिज कर दिया गया था।

(17) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है। नतीजतन, इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

3217 एचसी आईएलआर—गवर्नमेंट प्रेस, यू.टी., *चंडीगढ़*

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी